

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधि०सू०सं०-निग/सारा-04 (पथ) आरोप-12/2026 6212(S)

पटना, दिनांक...31/8/2026

अधिसूचना

माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग द्वारा दिनांक-03.04.2026 को पथ प्रमंडल, अररिया अंतर्गत जयनगर से घुरना (भारत नेपाल सीमा पथ) भाया नरपतगंज पथ के निर्माण हेतु कार्यारंभ किये जाने का आयोजन किया गया था, जिसमें अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन) द्वारा विषयगत पथ के प्राक्कलन के संबंध में श्री विजय कुमार यादव, सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, फारबिसगंज, पथ प्रमंडल, अररिया से कुछ बिन्दुओं पर पृच्छा की गयी। तत्पश्चात् श्री यादव द्वारा अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन) के साथ अभद्रतापूर्ण गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए प्राक्कलन के संबंध में किसी भी तरह का संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। उक्त कृत के लिए श्री विजय कुमार यादव, सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, फारबिसगंज, पथ प्रमंडल, अररिया को विभागीय अधिसूचना संख्या-2679 (एस)-सह-पठित ज्ञापांक-2680 (एस) दिनांक-13.04.2026 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया एवं उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया।

2. निलंबन के उपरांत श्री यादव के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक-4075 (एस) अनु० दिनांक-11.06.2026 के द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी। आरोप की बिन्दु निम्नवत है :-

(i) पथ प्रमंडल, अररिया अंतर्गत जयनगर से घुरना (भारत नेपाल सीमा पथ) भाया नरपतगंज पथ के कार्यारंभ के समय दिनांक-03.04.2026 एवं दिनांक-04.04.2026 को सर्किट हाउस में किये गये समीक्षा बैठक के दौरान आलोच्य कार्य के संबंध में श्री विजय कुमार यादव, सहायक अभियंता से उच्चाधिकारियों द्वारा पथ कार्य के विष्टियों के संबंध में पृच्छा किये जाने पर उनके द्वारा अभद्रतापूर्ण गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए किसी भी तरह का संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया, बल्कि असमान्य व्यवहार करते हुए अशिष्टतापूर्वक एवं जबरदस्ती अपनी बातों को मनवाने का प्रयास किया गया। उक्त कृत श्री यादव की कार्य के प्रति लापरवाही/उदासीनता, उच्चाधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार एवं गैर जिम्मेदार रवैया का द्योतक है।

3. श्री यादव के पत्रांक-शून्य दिनांक-02.07.2026 के द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से निम्न तथ्य अंकित किये गये :-

(i) आलोच्य पथ में वाहनों का परिचालन बहुत कत होने का संदर्भ देते हुए पथ में प्रावधानित विशिष्टियों के ज्यादा हाने के संबंध में उनसे श्री संजय भारती, मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (दक्षिण) उपभाग द्वारा पृच्छा की गयी। जिसके आलोक में उनके द्वारा पद की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए पूरी शालीनता के साथ उत्तर दिया गया। उनके द्वारा न तो उदंडतापूर्वक जबाव

और न ही कोई अभद्र व्यवहार किया गया।

(ii) अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन) के द्वारा प्रारंभ में प्रतिवेदित किया गया कि उनसे कथित पृच्छा अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन) के द्वारा की गयी, जबकि बाद में आरोप-पत्र के गठन के क्रम में प्रतिवेदित किया गया कि उनसे कथित पृच्छा श्री संजय कुमार भारती, मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (दक्षिण) उपभाग के द्वारा की गयी।

(iii) अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन) के द्वारा अपने प्रतिवेदन में श्री यादव से पूछे गये प्रश्न का उल्लेख किया गया, परन्तु उनके द्वारा दिये गये उत्तर का उल्लेख नहीं किया गया। इस प्रकार आधा-अधूरा तथ्य प्रतिवेदित किये गये।

(iv) आरोप-पत्र में श्री संजय कुमार भारती को साक्षी बनाया गया, जबकि उनके द्वारा ही आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं। इस प्रकार किसी तटस्थ व्यक्ति को साक्षी नहीं बनाया गया है।

(v) श्री यादव के द्वारा अपने लिखित अभिकथन के साथ 04 रंगीन फोटोग्राफ समर्पित किये गये, जिसका संदर्भ देते हुए उल्लेख किया गया है कि उनके शर्ट का 03 बटन खुला हुआ नहीं है।

4. श्री यादव के द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन की विभागीय समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन) के द्वारा प्रतिवेदित किये गये आरोप को पूर्ण रूप से प्रमाणित किये जाने योग्य ठोस साक्ष्य एवं तथ्य उपलब्ध नहीं है, किन्तु श्री यादव द्वारा अपने लिखित अभिकथन में श्री संजय कुमार भारती, मुख्य अभियंता के विरुद्ध व्यक्तिगत आक्षेप भी लगाये गये हैं, जिसके फलस्वरूप इस निष्कर्ष पर पहुँचा गया कि श्री यादव का व्यवहार उनके पद की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। इसलिए इस मामले में श्री यादव को पूर्ण रूप से आरोप मुक्त किये जाने का कोई युक्तिसंगत अवसर नहीं है।

5. अतएव उपर्युक्त के आलोक में श्री विजय कुमार यादव, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, फारबिसगंज, पथ प्रमंडल, अररिया सम्प्रति: निलंबित के द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन पत्रांक-शून्य दिनांक-02.07.2026 को सम्यक विचारोपरांत अस्वीकृत करते हुए निम्नांकित निर्णय लिया जाता है :-

(i) श्री विजय कुमार यादव के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के स्पष्टीकरण (3) में विहित प्रावधान के तहत "चेतावनी, जिसकी प्रविष्टि उनके चरित्र पुस्त में की जायेगी" का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

(ii) श्री विजय कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है। श्री यादव के निलंबन अवधि को पूर्ण वेतन भत्तों के साथ सभी प्रयोजनार्थ कर्तव्य अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है। बशर्ते कि निलंबन अवधि के दौरान श्री यादव को भुगतान किये जा चूके जीवन निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्तों का समायोजन करते हुए वेतनादि का भुगतान कर लिया जायेगा।

6. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(संजय कुमार सिन्हा)

सरकार के उप सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :-

ज्ञापांक :- निग/सारा-04 (पथ) आरोप-12/2026

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक :- निग/सारा-04 (पथ) आरोप-12/2026

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा-आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)।

अनु०-यथोक्त।

ह०/-

सरकार के उप सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :-

ज्ञापांक :- निग/सारा-04 (पथ) आरोप-12/2026

प्रतिलिपि :- सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पूर्णियाँ/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, अररिया/उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (मु०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (प्रभारी प्रशाखा-13/14), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (मु०/लेखा)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1/2/6/13/14, एवं लेखा शाखा (प्रशाखा-30), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री विजय कुमार यादव, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, फारबिसगंज, पथ प्रमंडल, अररिया सम्प्रति: सहायक अभियंता, अभियंता प्रमुख (मु०) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :- 31/8/2026

ज्ञापांक:- निग/सारा-04 (पथ) आरोप-12/2026 6213(3)

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

(Signature)
31.8.26

सरकार के उप सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।